

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(डॉ० भंवर लाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 14/2019

दायर दिनांक : 03.06.2019

आदेश दिनांक : 01.03.2024

1. श्री कैलाश चन्द्र पिता धर्मचन्द्र निवासी सदर बाजार, कांकरोली तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
2. श्री मदनलाल पिता हरकलाल निवासी सदर बाजार, कांकरोली तहसील राजसमंद जिला राजसमंद – प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. भारत संघ जरिये सचिव सडक एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997

उपस्थित:-

श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता- प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित
श्री गिरीश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री प्रवीण मंडोवरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 05/2020

दायर दिनांक : 04.08.2020

आदेश दिनांक : 01.03.2024

श्री दिनेश रांका पिता श्री भीमराज रांका निवासी कांकरोली तहसील राजसमंद
जिला राजसमंद – प्रार्थी

:: बनाम ::

1. सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद

– विपक्षीगण



मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997 एवार्ड

क्रमांक: 2301 दिनांक 21.07.2017

उपस्थित:-

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री गिरीश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 06 / 2020

दायर दिनांक : 04.08.2020

आदेश दिनांक : 01.03.2024

श्री रमेश रांका पिता श्री भीमराज रांका निवासी कांकरोली तहसील राजसमंद जिला
राजसमंद – प्रार्थी

:: बनाम ::

1. सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद

– विपक्षीगण

मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997 एवार्ड क्रमांक:
2301 दिनांक 21.07.2017

उपस्थित:-

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री गिरीश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित अधिनियम 1997 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थीगण की राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमंद की आराजी संख्या 209 रकबा 0.1701 हेक्टेयर को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी किया गया है तथा प्रार्थी को अवाप्तशुदा



भूमि का मुआवजा राशि एवं तोषण राशि का भुगतान पर भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनः व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि एवं अन्य अनुतोष राशि विपक्षी से दिलाने को लेकर चुनौती दी गई है। तीनों प्रकरण में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि एक ही आराजी एवं एक ही एवार्ड को चुनौती दी गई है इसलिए तीनों प्रकरणों को संकलित करते हुए एक ही साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमंद की आराजी संख्या 209 रकबा 0.1701 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500/- रु. प्रति वर्गफीट से अधिक है। जबकि भूमि का मुआवजा मात्र 1894/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है जबकि अवाप्त की गई उक्त 1701 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 1500/- रु. प्रति वर्गफीट देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 1500रु. प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की दुकाने बनी हुई हैं एवं अन्य निर्माण है जिसका मुआवजा न तो निर्धारित किया है न ही अदा किया है। लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज एवं Solatium राशि देय होती है जो भी अदा नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मनमकसूद तरीके से तय कर देरी से अदा किया है। प्रार्थीगण की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है लेकिन मुआवजा मात्र भूमि का निर्धारित किया गया तथा संरचना का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 1500/- प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि का बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थीगण ने मुआवजा अदा करने के लिये प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत निवेदन किया उसके बाद मुआवजा का एवार्ड कम जारी किया गया।

उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी Man Singh & Ors. Vs: UOI & Ors.(S.B. Civil Writ Petition No. 13114/2016) decided on 27.03.2017 प्रकरण में मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश किये गये। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों



के तहत प्रार्थीगण को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बाजार क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की कुल अवाप्तशुदा भूमि पर बाजार दर का तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 21.07.2017 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (Solatium) राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा राशि डी0एल0सी0 दर अनुसार नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीगण वर्तमान बाजार दर से राशि चाहते हैं, जो देय नहीं है, मुआवजा तत्समय प्रचलित डीएलसी दर से तय कर भुगतान किया है जो सही है, विपक्षी द्वारा मुआवजा तत्कालीन प्रचलित डीएलसी दर से तय कर भुगतान किया है। निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अवार्ड जारी कर **RFCCTLARR Act 2013** के तहत भुगतान किया है विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के संपूर्ण अवार्ड नियमानुसार निर्धारित डीएलसी दर से तय कर जारी कर भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावे।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया के खसरा सं0 209 रकबा 0.1701 हैक्टर में से वाणिज्यिक 0.0227 हैक्टर, रास्ते की भूमि 0.0043 हैक्टर, एवं गैर रूपान्तरण 0.01431 हैक्टर, भूमि अवाप्त की गयी। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण करने बाबत उप पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (7)(ए) के प्रावधानों की अनुपालना में धारा 3 ए की अधिसूचना की दिनांक 22.07.2016 को जिला स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार मूल्य वाणिज्यिक भूमि का 9468.80/- रुपये वर्गमीटर व कृषि भूमि का 832.39 प्रति वर्गमीटर प्राप्त कर **RFCTLARR ACT-2013** के लागू प्रावधानों की अनुपालना में कुल मुआवजा राशि 73,96,543/- रुपये का दिनांक 22.11.2018 को एवार्ड पारित कर दिया गया। जिसमें प्रार्थीगण को **RFCTLARR ACT-2013** के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य, ब्याज, तोषण, कारक (फेक्टर) सहित लागू समस्त लाभांश दिये गये हैं, जो कि एवार्ड के अवलोकन से ही जाहिर होता है। सक्षम प्राधिकारी ने भुगतान पत्रादि दस्तावेज प्राप्त होने पर भू-हितधारियों को हिस्से अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी ने अपने मनमुताबिक बाजार दर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट से गलत तौर पर बिना किसी आधार के मुआवजे की मांग की है, जो कि विधिसम्मत नहीं होने



के कारण स्वीकार व देय नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी कारण के श्रीमान के समक्ष वर्ष 2019 में प्रकरण प्रतुत कर दिया गया, जो कि चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थी की अवाप्त भूमि की उचित मुआवजा राशि का निर्धारण नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 एवं RFCTLARR ACT-2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22.11.2018 को भुगतान कर दिया गया है। जिससे प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं, जिससे प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस सुनाई गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत नेशनल हाईवे अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमंद की आराजी संख्या 209 रकबा 0.1701 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500/- रु. प्रति वर्गफीट से अधिक है। जबकि भूमि का मुआवजा मात्र 1894/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है जबकि अवाप्त की गई उक्त 1701 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 1500/- रु. प्रति वर्गफीट देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया। उक्त भूमि का मुआवजा 1500रु. प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की दुकाने बनी हुई हैं एवं अन्य निर्माण है जिसका मुआवजा न तो निर्धारित किया है न ही अदा किया है। लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज एवं Solatium राशि देय होती है जो भी अदा नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मनमकसूद तरीके से तय कर देरी से अदा किया है। प्रार्थीगण की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है। मुआवजा मात्र भूमि का निर्धारित किया गया तथा संरचना का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 1500/- प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि का बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थीगण ने मुआवजा अदा करने के लिये प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत निवेदन किया उसके बाद मुआवजा का एवार्ड कम जारी किया गया साथ ही यह भी निवेदन किया कि मौके पर दुकाने बनी हुई है लेकिन निर्माण होते हुए भी संरचना का कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया है। दुकाने निर्मित होने की पुष्टि विक्रय पत्र से होती है तथा प्रार्थीगण ने वेलुएशन रिपोर्ट बनाकर विपक्षी के यहाँ पर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा तहसीलदार राजसमन्द से मौका स्थिति रिपोर्ट से भी मौके पर दुकाने निर्मित होना प्रमाणित है तथा 6 फिट चौड़ाई में समानान्तर भूमि अवाप्त हुई है जो वाणिज्यिक रूपान्तरणशुदा है व



नगर पालिका द्वारा पट्टे जारी किये हुए हैं। स्वयं सक्षम अधिकारी ने दिनांक 19.12.2018 को आराजी नम्बर 209 में तीन संरचना स्थित होना जारी करते हुए इसकी वेल्युएशन रिपोर्ट भिजवाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। जिससे भी निर्माण का मुआवजा निर्धारित व अदा नहीं करना प्रमाणित है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की और से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा राशि डी0एल0सी0 दर अनुसार नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीगण वर्तमान बाजार दर से राशि चाहते हैं, जो देय नहीं है, मुआवजा तत्समय प्रचलित डीएलसी दर से तय कर भुगतान किया है जो सही है, विपक्षी द्वारा मुआवजा तत्कालीन प्रचलित डीएलसी दर से तय कर भुगतान किया है। निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अर्वाड जारी कर **RFCTLARR Act 2013** के तहत भुगतान किया है विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के संपूर्ण अर्वाड नियमानुसार निर्धारित डीएलसी दर से तय कर जारी कर भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा की और से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया के खसरा सं0 209 रकबा 0.1701 हैक्टर में से वाणिज्यिक 0.0227 हैक्टर, रास्ते की भूमि 0.0043 हैक्टर, एवं गैर रूपान्तरण 0.01431 हैक्टर, भूमि अवाप्त की गयी। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण करने बाबत उप पंजीयक से अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (7)(ए) के प्रावधानों की अनुपालना में धारा 3 ए की अधिसूचना की दिनांक 22.07.2016 को जिला स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार मूल्य वाणिज्यिक भूमि का 9468.80/- रुपये वर्गमीटर व कृषि भूमि का 832.39 प्रति वर्गमीटर प्राप्त कर **RFCTLARR ACT-2013** के लागू प्रावधानों की अनुपालना में कुल मुआवजा राशि 73,96,543/- रुपये का दिनांक 22.11.2018 को एर्वाड पारित कर दिया गया। जिसमें प्रार्थीगण को **RFCTLARR ACT-2013** के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य, ब्याज, तोषण, कारक (फेक्टर) सहित लागू समस्त लाभांश दिये गये हैं, जो कि एर्वाड के अवलोकन से ही जाहिर होता है। सक्षम प्राधिकारी ने भुगतान पत्रादि दस्तावेज प्राप्त होने पर भू-हितधारियों को हिस्से अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी ने अपने मनमुताबिक बाजार दर 1500/- रुपये प्रति वर्गफीट से गलत तौर पर बिना किसी आधार के मुआवजे की मांग की है, जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण स्वीकार व देय नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी कारण के श्रीमान के समक्ष वर्ष 2019 में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि चलने योग्य नहीं होने से खाजिर फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि की उचित मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 1956 एवं **RFCTLARR ACT-2013** के लागू प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22.11.2018 को भुगतान कर दिया गया है। जिससे प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है, जिससे प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।



उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा डी0एल0सी0 दर से निर्धारित करते हुए नियमानुसार भुगतान करना प्रमाणित पाया गया लेकिन अवाप्तशुदा भूमि पर मौके पर दुकाने (संरचना) निर्मित होने की पुष्टि विक्रय पत्र दिनांक 01.11.2012 तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तहसीलदार राजसमन्द से दिनांक 22.01.2018 प्राप्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया मौका पर्चा दिनांक 02.10.2017 के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की दुकाने निर्मित होना प्रमाणित पाया गया हैं तथा इसी अनुक्रम में सक्षम अधिकारी ने संरचना का मुआवजा निर्धारित करने हेतु परियोजना अधिकारी भीलवाडा से मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 19.12.2018 के पत्र से तलब कराने से भी यह प्रमाणित है कि मौके पर अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचना का मुआवजा निर्धारित व अदा नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा साक्ष्य सबूत के साथ प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज के आधार पर एवं संरचना का मूल्यांकन करते हुए धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सपठित द राईट टु फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेसन्सी इन लेण्ड एक्वीजीशन रिहेबिलीटेशन एण्ड रि सेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFCTLARR ACT 2013) व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। आदेश की एक - एक प्रति तीनों पत्रावलीयों में संलग्न की जावें। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अवार्ड पत्रावली प्रेषित हों।

Bulla
(डॉ० भंवर लाल)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 01.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



Bulla
(डॉ० भंवर लाल)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द